

कार्यालय अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा

—:निविदा सूचना:—

महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-5336 दिनांक-07.09.2015 के अनुसार मधेपुरा जिला अंतर्गत मंडल कारा, मधेपुरा एवं उपकारा उदाकिशुनगंज में संसीमित बंदियों के डायट एवं डायट चार्ट का पुनरीक्षण किया गया है। नये डायट चार्ट के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में शेष बचे अवधि के लिये दिनांक-31.03.2016 तक आपूर्ति ली जाने वाली खाद्य सामग्रियों, यथा-(01)-मछली, (02)-सरसों दाना, (03)-मटर दाना, (04)-पनीर, (05)-गरम मशाला, (06)-ब्रेड, (07)-चिकेन, (08)-रिफाईन तेल, (09)-सेवई, (10)-छोला बनाने हेतु काबुली चना, (11)-सोयाबीन बरी/सोयाबीन, (12)-खीरा, (13)-अरवा चावल, (14)-स्तु (15)-आटा एवं (16)-मुना चना का क्रय हेतु मोहर बंद निविदा उक्त सामग्रियों के नमुना के साथ दिनांक-29.12.2015 के पूर्वाह्न/अपराहन 04:00 बजे तक मंडल कारा, मधेपुरा/उपकारा उदाकिशुनगंज हेतु आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश से जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में निविदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत के समक्ष दिनांक-31.12.2015 को अपराहन 03:00 बजे खोली जाएगी। निविदाता को निविदा में भाग लेने के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है:-

1. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि-29.12.2015 के पूर्वाह्न/अपराहन 04:00 बजे तक 2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय 31.12.2015 को अपराहन 03:00 बजे 3. क्रय समिति की बैठक की तिथि एवं समय दिनांक-31.12.2015 को अपराहन 03:00 बजे 4. मंडल कारा, मधेपुरा के लिए खाद्य एवं प्रमुख सामग्रियों के लिए 40,000.00 (चालीस हजार) तथा सब्जी एवं अन्य सामग्रियों के लिए 10,000.00 (दस हजार) राशि अग्रधन के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम से प्रतिज्ञित कराकर जमा करना होगा,
5. उपकारा उदाकिशुनगंज के लिए खाद्यान एवं अन्य प्रमुख सामग्रियों के लिए क्रमशः 30,000.00 (तीस हजार रुपये) तथा सब्जी एवं अन्य सामग्रियों के लिए 5,000.00 (पाँच हजार रुपये) राशि अग्रधन के रूप में अधीक्षक उपकारा उदाकिशुनगंज के नाम से प्रतिज्ञित कराकर कर जमा करना होगा, 6. मंडल कारा, मधेपुरा एवं उपकारा उदाकिशुनगंज के लिए अलग-अलग निविदा देना आवश्यक है,
7. सफल निविदा निविदाताओं से एकरारनामा करने के पूर्व आपूर्ति सामग्रियों के वार्षिक अनुमानित मूल्य का पाँच प्रतिशत सुरक्षित जमा (सिक्यूरिटी डिपोजिट) के रूप में जमा कर लिया जाएगा, 8. अग्रधन एवं सुरक्षित जमा की राशि मात्र बैंक गारंटी के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, 9. ब्रि कर एवं आयकर की अद्यतन छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है,
10. वस्तुओं की दरें मेट्रिक प्रणाली में निविदा में अंकित सामानों के अनुरूप ही अंकित करना होगा, जिसमें ब्रि कर प्रासंगिक खर्च तथा कारा गोदाम तक पहुँचाने का खर्च भी सम्मिलित होगा, 11. सामग्रियों में बनावन की मात्रा नहीं होनी चाहिए, समय पर सामानों की आपूर्ति नहीं करने पर अग्रधन की राशि एवं लंबित विपत्रों को जब्त कर लिया जाएगा एवं कालिकृत (BLACK LISTING) करने की कार्रवाई की जाएगी,
12. आपूर्ति सामग्रियों की वार्षिक अनुमानित मूल्य का पाँच प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि का मूल्यांकन कारा द्वारा निर्धारित किया जाएगा, 13. निविदाता को जिला पदाधिकारी या पुलिस अधीक्षक से अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, 14. क्रय समिति को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं या अनुशंसित दरों को घटाने का अधिकार महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा, 15. किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था को बिना निविदा में भाग लिए आपूर्ति आदेश देने का महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को अधिकार सुरक्षित रहेगा, 16. लिखित न्यूनतम दर या डाक बोली में न्यूनतम दर जो अनुशंसित किया जाता है डाक लेकर मुकर जाने पर बिना नोटिस दिये अग्रधन एवं बैंक गारंटी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, 17. समय पर आपूर्ति नहीं करने पर बिना कोई सूचना दिये ही आवश्यक सामग्रियों को दूसरे अन्य माध्यम से खरीद ली जाएगी और उसमें कारा का जो भी अधिक मूल्य देना होगा वह संबंधित आपुरक के लंबित विपत्र की राशि से काटकर वसूल कर लिया जाएगा, 18. कोई भी निविदा दाता या आपुरक कारा क्रय समिति, कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं, 19. आपुरक के ठेके में नये हिस्सेदार शामिल करना मान्य नहीं होगा, 20. सफल निविदा दाताओं को कारा क्रय समिति की अनुशंसित दर की स्वीकृति प्राप्त होने एवं सूचित किये जाने के तीन दिनों के अंदर ही आपूर्ति सामग्रियों के मूल्य का पाँच प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में जमा करना होगा और उन्हें अपने खर्च पर कारा के ठेका बंध प्रपत्र संख्या-73 और 74 में 100.00 (एक सौ रुपये) या जो भी विधिवत राशि का न्यायधीकृत मुद्रांक (नन ज्युडिसियल स्टाम्प) बिहार, चिपका कर कतिपय स्वीकृत संसोधित नियमों का समावेश करते हुए औपचारिक भार्तनामा पर हस्ताक्षर करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्रवाई करने के अलावा उनके द्वारा जमा की गई अग्रधन एवं बैंक गारंटी स्वतः जब्त हो जाएगी, 21. नोटिस दिए बिना किसी अन्य व्यक्तियों के साथ ठेका करने का पूर्ण अधिकार रहेगा, 22. सामग्रियों की आपूर्ति नमूने के अनुसार ज़ाम श्रेणी का बनावन रहित, नमी रहित तथा बिलकुल स्वच्छ रहना आवश्यक है। निर्धारित अवधि के अंदर आपूर्ति नहीं करने पर एवं घटिया सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा, 23. खाद्य सामग्रियों एवं विभिन्न सामग्रियों के निविदा दाताओं को विगत तीन वर्षों का टेक्स ऑडिट बैलेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा, 24. मंडल आदेश के अनुसार सामानों की आपूर्ति नहीं की गई तो बिना नोटिस दिये हुए अन्य स्रोत से सामानों का क्रय कर कर लिया जाएगा, 25. आवंटन के अभाव में भुगतान न होने पर ठेकेदार को किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति बंद नहीं करनी होगी, 26. निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षर के कार्यालय में संपर्क या www.madhepura.nic.in पर या जिले के कोई भी प्रखंड कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है। अधोहस्ताक्षर के Mob No. 9471009858 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

मंडल कारा, मधेपुरा/उपकारा उदाकिशुनगंज के निविदा के लिए शेष अवधि के लिये दिनांक-31.03.2016 तक आवश्यकता अनुसार क्रय की जाने वाली प्रमुख सामग्रियों की विवरणी:- यथा-(01)-मछली, (02)-सरसों दाना, (03)-मटर दाना, (04)-पनीर, (05)-गरम मशाला, (06)-ब्रेड, (07)-चिकेन, (08)-रिफाईन तेल, (09)-सेवई, (10)-छोला बनाने हेतु काबुली चना, (11)-सोयाबीन बरी/सोयाबीन, (12)- खीरा, (13)-अरवा चावल, (14)-स्तु (15)-आटा एवं (16)-मुना चना।

अधीक्षक

मंडल कारा, मधेपुरा।

02-12-15

ज्ञापांक..... 1862

दिनांक..... 02/12/15

✓ प्रति०-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, संपर्क सूचना, मधेपुरा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित करते हुए अनुरोध है कि अपने वेबसाईट www.madhepura.nic.in पर अपलोड करने की कृपा की जाय।


प्रति०-सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित करते हुए अनुरोध है कि अपने कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाने एवं जानकारी देने की कृपा की जाय।

प्रति०-अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, अदाकिशुनगंज को सूचनार्थ समर्पित करते हुए अनुरोध है कि अपने कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाने एवं जानकारी देने की कृपा की जाय।

प्रति०-अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को सूचनार्थ समर्पित करते हुए अनुरोध है कि अपने कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाने एवं जानकारी देने की कृपा की जाय।


प्रति०-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रति०-महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



अधीक्षक

मंडल कारा, मधेपुरा।


02/12/15